VISION IAS

16 DEC 2020

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1414)

Name of Candidate	Vipin Kumar Dwivedi		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	35567
Center	MN	Date	

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

5

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. The right to recall is a much-needed step to deepen democracy in India. Critically discuss. **(150 words) 10**

भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु 'राइट टू रिकॉल' एक अत्यंत आवश्यक कदम है। आलोचनात्मक चर्चा कीजिए।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में स्थापित करती है।

"राइट टू रिकॉल" एक ऐसा तंत्र है जिसमें प्रतिनिधित्व को आम जन द्वारा वापस बुलाया जा सकता है।

लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में यह आवश्यक क्योंकि

- यह प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाता है
- अच्छा देश बनाता है
- प्रतिनिधि वापस बुलाये जाने के डर से अच्छा कार्य करते है
- आम जन की शासन में सीधे भागीदारी होती है
- प्रतिनिधि स्वयं हेतु न कार्य करके जनता हेतु कार्य करते हैं जिससे सार्वजनिक निधियों का उचित उपयोग होता है तथा लोकतंत्र में पारदर्शिता आती है।

हालांकि इसमें कई मुद्दे भी हैं

- यह प्रतिनिधियों को बार-बार वापस बुलाकर शासन में देरी कर सकती है
- यह प्रतिनिधियों में भय बढ़ा सकती है जिससे उनकी दक्षता प्रभावित होगी
- यह जातिगत तथा धर्म आधारित राजनीति बढ़ा सकती है क्योंकि विशेष जाति के प्रतिनिधि अपने जाति के लोगों को खुश करने हेतु कार्य कर सकते हैं

"राइट टू रिकॉल" यद्यपि लोकतंत्र को सुदृढ़ कर सकता है फिर भी इसके सभी आयामों पर विचार करके निर्णय लेने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. For the justice delivery system to work for the ordinary citizen, it is imperative that the issues affecting the functioning of the lower courts in India be urgently addressed. Discuss. **(150 words) 10**

आम नागरिक के लिए न्याय वितरण प्रणाली को कारगर बनाने हेतु, भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर तत्काल ध्यान दिया जाना आवश्यक है। चर्चा कीजिए।

भारत में न्याय के संबंध में निचले पायदान पर अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान है। जिसमें जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय हैं।

{अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले मुद्दे:}

- लंबित मुद्दे: राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड के अनुसार लगभग 3 करोड़ केस
- नियुक्तियों में देरी: राज्य लोकसेवा में विभिन्न मुद्दों के कारण नियुक्तियों में विलंब
- अवसंरचना: राज्य द्वारा भूमि उपलब्ध कराने में देरी, न्यायिक परिसरों के निर्माण में देरी आदि
- तकनीक का कम इस्तेमाल: इसके कारण मानवीय हस्तक्षेप बढ़ता है तथा केस की सुनवाई में देरी आती है
- अकुशल मानव संसाधन: नियमित प्रशिक्षण तथा ~~म~~ मूल्यांकन के अभाव में कमी मानव संसाधन

कम उत्पादक होती है।

जांच में देरी। आपराधिक न्याय प्रणाली में कमी के कारण केस से संबंधित जांचों में विलंब होता है जिससे अंतिम निर्णय तक पहुंचने में देरी होती है। (मालिमथ समिति)

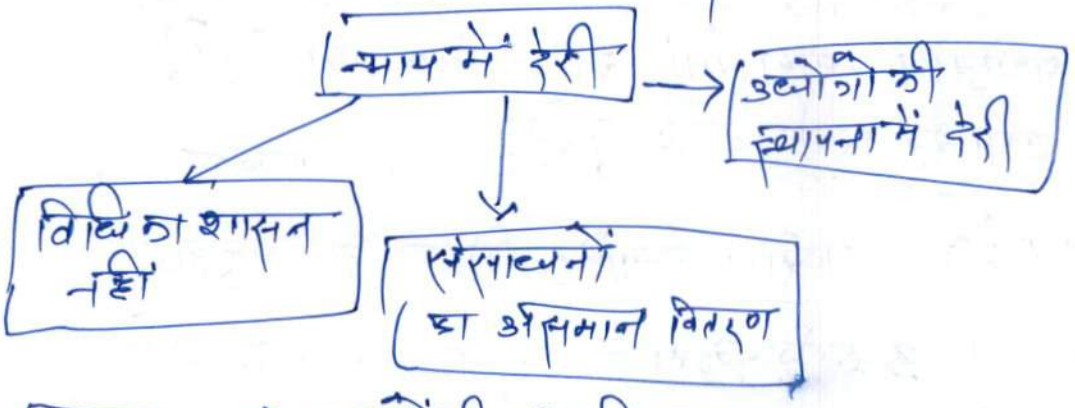

न्याय में देरी
- → उद्योगों की स्थापना में देरी
- → विधि का शासन नहीं
- → संसाधनों का असमान वितरण

उपाय
- → जजों की नियुक्ति करना
- → अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन
- → केस मैनेजमेंट फ्लो लागू करना
- → तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना
- → अवसंरचना का निर्माण

आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार न्याय में देरी विधि के शासन में देरी के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रभावित करता है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों को सशक्त करके न्याय को सुलभ बनाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Is anti-defection law a restriction on the freedom of choice of legislators? Examine and also highlight the role played by Speaker in this regard.
(150 words) 10

क्या दल-बदल रोधी क़ानून विधि-निर्माताओं (लेजिस्लेटर्स) की 'चयन की स्वतंत्रता' पर एक प्रतिबंध है? परीक्षण कीजिए और साथ ही इस संदर्भ में,अध्यक्ष द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को रेखांकित कीजिए।

52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा अनुसूची 10 को जोड़कर दलबदल कानून बनाया गया जो कुछ आधार पर सांसदों तथा विधायकों को निर्हर करता है।

यह कानून चयन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है क्योंकि:-

- यह पार्टी के व्हिप के अनुसार कार्य करने पर बाध्य करता है
- यह अनुच्छेद 19 के तहत वाक् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है
- सांसद स्वतंत्र निर्णय न करके पार्टी के अनुसार निर्णय करते हैं जिससे संसद की उत्पादकता कम

हालांकि यह कानून उपयोगी भी क्योंकि:

- यह राजनीतिक तथा सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करता है
- सांसदों की खरीद फरोख्त कम करता है
- राजनीति में काले धन तथा अपराधीकरण को कम करने में सहायक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अध्यक्ष द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका:-

• दल बदल के आधार पर सांसदों को निर्हर घोषित करना

हालांकि निम्नलिखित मुद्दे व्याप्त हैं:-

> अध्यक्ष के सांसदों के निर्हरता संबंधी निर्णयों पर सवाल उठना (गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश)

> अध्यक्ष द्वारा सांसदों को निर्हर करने में देरी करना इससे इस कानून का वास्तविक उद्देश्य विफल होता है (राजस्थान तथा मध्य प्रदेश)

> यद्यपि किहितो होलोहन वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा योग्य फिर भी निर्णय संदेहप्रद रहते हैं।

अतः दिनेश गोस्वामी आयोग तथा इंद्रजीत गुप्ता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर निर्हरता निर्धारण हेतु एक अलग तंत्र बनाकर तथा निर्हर सदस्यों पर चुनाव लड़ने हेतु उस समय तक प्रतिबंध लगाकर इस कानून को सशक्त करना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. What are the various issues pertaining to functioning and performance of state legislatures in India? In this context, suggest some measures to make state assemblies more transparent and effective. **(150 words) 10**

भारत में राज्य विधान-मंडलों की कार्यपद्धति और निष्पादन से संबंधित विभिन्न मुद्दे क्या हैं? इस संदर्भ में, राज्य विधान सभाओं को और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने हेतु कुछ उपायों का सुझाव दीजिए।

भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के तहत राज्यों के स्तर विधानमण्डलों की स्थापना की गई है। भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमण्डल की व्यवस्था है।

विधानमण्डलों की कार्यपद्धति और निष्पादन से संबंधित मुद्दे :-

- स्थगन अवरोध के कारण कार्य के घंटों में कमी
- दलबदल कानून के कारण विधान मण्डलों की उपयोगिता में कमी
- अध्यक्षों के निर्णय का राजनीति से प्रेरित होना (उत्तराखण्ड मामला)
- विभिन्न समितियों तक विधेयकों को न पहुंचाना
- विधानपरिषदों में कोनी कैपिटलिज्म की समस्या तथा यह हार हुए विधायकों का स्थान बन रही है
- अनुच्छेद 200 तथा 201 द्वारा राज्यपाल द्वारा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हस्तक्षेप
- राष्ट्रपति शासन द्वारा विधानसभाओं के कार्य को बाधित करना (महाराष्ट्र का मुद्दा)

विधानसभाओं को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु उपाय :
- विधानसभाओं के कार्य के घंटों का निर्धारण (संविधान समीक्षा आयोग)
- दलबदल की अर्हता निर्धारण की शक्ति किसी स्वतंत्र तंत्र को देना
- विधेयकों पर वाद संवाद तथा परिचर्चा
- विधानपरिषदों को दक्ष बनाने हेतु राजनीति में काले धन तथा वोट बैंक की राजनीति पर अंकुश लगाना
- राज्यपाल की शक्तियों को संतुलित करना (सरकारिया तथा पुंछी आयोग)
- जहां विधानपरिषदें उपादेय न हो वहां उनका उन्मूलन करना (जैसे तेलंगाना)

विधानमण्डल राज्य में संवैधानिक तंत्र का हिस्सा हैं इनकी तथाकारिता तथा पारदर्शिता विधि का शासन लागू करने में सहायक है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Social audit not only increases accountability and transparency but also facilitates good governance. Discuss. Also, highlight the impediments faced in institutionalizing social audits in India. **(150 words) 10**

सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) से न केवल जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि यह सुशासन को भी सुविधाजनक बनाता है। चर्चा कीजिए। साथ ही, भारत में सामाजिक अंकेक्षण को संस्थागत बनाने में आने वाली बाधाओं को भी रेखांकित कीजिए।

सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसा तंत्र है जिसमें ~~सार्वजनिक~~ सार्वजनिक धन से निर्मित परिसंपत्तियों की जांच आम जन द्वारा की जाती है।

यह जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाता है क्योंकि:

- जांच में जन सहभागिता होती है
- जांच होने से कार्य जनकेन्द्रित होता है
- निधियों का उपयोग करने वाले विवेकाधीन शक्तियों का कम प्रयोग करते हैं
- प्रत्येक निर्णय की जांच प्रदर्शन तथा परिणाम पर होती है (जैसे मनरेगा में)
- यह केंद्रीकरण को कम करके योजनाओं के क्रियान्वयन का विकेन्द्रीकरण करता है जिससे बाटम टू टाप अप्रोच की अवधारणा को बल मिलता है
- यह ~~पैसा~~ "हमारा पैसा हमारा हिसाब" की अवधारणा को मजबूत करता है।

सुशासन को भी सुनिश्चित बनाता है क्योंकि इससे:
→ निधियों का लक्षित उपयोग
→ निधियों का दक्षतम उपयोग
→ कल्याणकारी सेवाओं की त्वरित एवं समावेशी सुपुर्दगी (जैसे PDS)

भारत में सामाजिक अंकेक्षण को संस्थागत बनाने में बाधायें:
→ कोई विधिक आधार नहीं
→ जागरूकता की कमी
→ एक ही क्षेत्र में कई योजनायें होने से सामाजिक अंकेक्षण के समन्वय में कमी
→ स्थानीय आबादी का कुशल और समतावान न होना
→ अवसंरचना के स्तर पर अभाव

आगे की राह 2nd ARC के अनुसार:
→ विधिक सहायता प्रदान करना
→ मेघालय और तथा राजस्थान की तरह जागरूकता फैलाना।
→ CAG कि लेखा परीक्षा के साथ संयोजित करना

सामाजिक अंकेक्षण भ्रष्टाचार को कम करके शासन को समावेशी तथा पारदर्शी बनाने में सहायता कर सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Explain the idea behind introduction of citizen's charters in India. Also, discuss the problems faced in their implementation. **(150 words) 10**

भारत में नागरिक चार्टर के आरंभ के पीछे निहित विचार को स्पष्ट कीजिए। साथ ही, उनके कार्यान्वयन के समक्ष आने वाली समस्याओं की विवेचना कीजिए।

नागरिक चार्टर एक ऐसा प्रारूप होता है जो शिकायत निवारण तंत्र के साथ किसी संगठन की सेवाओं के प्रति मानक, गुणवत्ता तथा मूल्य की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है। भारत में कार्मिक विभाग के तहत लोक सेवा एवं पेंशन विभाग नागरिक चार्टर के लिये उत्तरदायी है।

भारत में नागरिक चार्टर के आरंभ के पीछे कारण:-

- संगठन की सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना
- संगठन को ग्राहकों के प्रति जवाबदेह बनाना
- संगठन की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना।
- आम जन की भागीदारी निर्णय निर्माण में सुनिश्चित करना
- आम जन ~~की~~ के फीडबैक के आधार पर सेवाओं को दक्ष बना उनकी उत्पादकता बढ़ाना (जैसे भारत में भारतीय पोस्ट का नागरिक चार्टर तथा बैंगलोर का म्युनिपल कॉर्पोरेशन का नागरिक चार्टर)

कार्यान्वयन के समक्ष आने वाली समस्याएँ:

→ चार्टर का विधिक आधार नहीं
→ चार्टर का समय-समय पर मूल्यांकन नहीं
→ चार्टर के निर्माण में आम जन से परामर्श नहीं
→ चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता नहीं
→ शिकायत निवारण तंत्रों का अभाव
→ सभी संगठनों द्वारा चार्टर का निर्माण नहीं
→ आम जन में चार्टर के प्रति जागरूकता नहीं

आगे की राह: नागरिक चार्टर विधेयक 2011 पास करना, सेवोत्तम मॉडल अपनाना (2nd ARC), जागरूकता फैलाना

नागरिक चार्टर सुशासन के अंग हैं अतः इनको प्रोत्साहित करना लाभदायक है

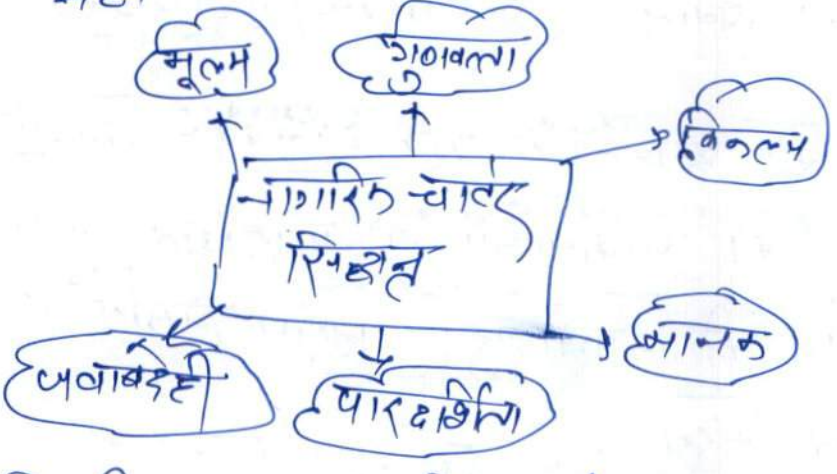

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The Public Distribution System in India has shown laudable improvements, however in the context of migrant workers and those still left out, it needs multiple adjustments. Discuss. **(150 words) 10**

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने प्रशंसनीय सुधार दर्ज किए हैं, हालाँकि प्रवासी श्रमिकों और इस प्रणाली से न जुड़ पाए लोगों के संदर्भ में, इसमें विविध समायोजनों की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

अनुच्छेद 38 के तहत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देने हेतु भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरम्भ की गई। जिसमें सस्ते दर पर खाद्यान्नों का वितरण गरीब परिवारों को किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने प्रशंसनीय सुधार दर्ज किये है जैसे:-

- शांताकुमार समिति की अनुशंसाओं के बाद लीकेज कम करने हेतु प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा (छत्तीसगढ़ मॉडल)
- अभ्यार्थियों की सही पहचान तथा लीकेज को कम करने हेतु JAM का प्रयोग
- आधार कार्डों के साथ राशन कार्डों को जोड़ना
- सस्ते दर की दुकानों पर खाद्यान्न का वितरण POS मशीनों द्वारा
- चंडीगढ़ तथा पांडुचेरी में खाद्यान्न के स्थान पर नकद हस्तांतरण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हालांकि कुछ मुद्दे हैं जैसे:-

- प्रवासी श्रमिकों के पास राशन कार्डों की कमी के कारण योजना का लाभ न उठा पाना।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा वेरीफिकेशन न हो पाने से योजना से वंचित रहना (जैसे झारखण्ड में हुआ)
- तकनीकी कमी के कारण लिस्ट में नाम न होने पर खाद्यान्न न प्राप्त होना

आगे की राह:

- पूर्व मुख्य न्यायाधीश पैनल की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर एक देश एक राशनकार्ड
- JAM के साथ अन्य दस्तावेजों पर भी खाद्यान्न प्रदान करना
- नकद हस्तांतरण को बढ़ाना
- फूड कूपन देने पर विचार करना

कोविड-19 के दौरान इस प्रणाली ने खाद्य सुरक्षा को बनाये रखने में सहायता की अतः आगे SDG-1 और 2 के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु इसे समावेशी बनाया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. While India has shown improvement in a number of socio-economic indicators over the years, considerable work still needs to be done to improve India's performance in the Global Hunger Index. Discuss.

(150 words) 10

यद्यपि, भारत ने विगत कुछ वर्षों में कई सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार दर्ज किया है, तथापि वैश्विक भूख सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) में भारत के प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

भारत ने मानव संसाधन विकास रिपोर्ट में 129वां स्थान, बहुआयामी गरीबी से 273 मिलियन लोगों को बाहर कर तथा ईज ऑफ डूईंग बिजनेस रिपोर्ट में 63वां स्थान प्राप्त कर सामाजिक-आर्थिक संकेतों में सुधार किया। फिर भी 2020 की वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 102 वां है-

कारण

आर्थिक कारण:
- गरीबी के कारण पोषण युक्त खाद्य पदार्थों तक पहुंच नहीं (NFHS-4, 33% बच्चे कुपोषित)
- बेरोजगारी के कारण (6.1%) आय की कमी जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित

सामाजिक कारण:
- महिलाओं का अंत में भोजन पितृसत्तात्मक सोच के कारण (50% एनीमिया का शिकार)
- जातिगत तथा अन्य आधार पर सामाजिक बहिष्कार

अन्य कारण:

- योजनाओं में लिकेज के कारण वास्तविक लाभार्थी तक पहुंच नहीं (PDS में 40% लिकेज NSSO आंकड़े)
- PDS में मुख्यतः गेहूं, चावल तथा मोटा अनाज का वितरण दाल, दूध, अंडा जैसे पोषक तत्वों की कमी
- ग्रामीण स्तर स्वच्छता तथा पेयजल की समस्या आगे भुखमरी की समस्या को जन्म देती है
- जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं के कारण फसल की बर्बादी

उपाय

→ PDS को सशक्त करना

→ PDS में दाल, अंडे, दूध तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर विचार करना

→ FSSAI द्वारा फूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ाना

→ मिड डे मील, ICDS, सबला, जैसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

→ पोषण अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन

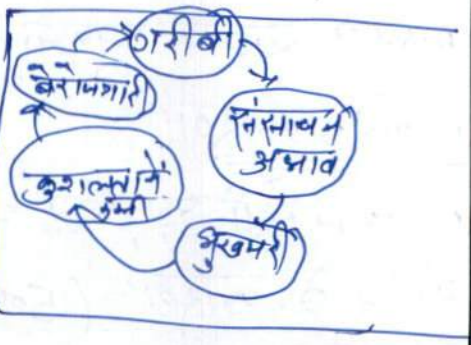

वैश्विक भूख सूचकांक में अपना स्थान बढ़ा भारत SDG-1 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Discuss the border issue between India and Nepal in view of the observation that it is both a testimony to the special relationship and a source of recurring frictions. **(150 words) 10**

भारत-नेपाल संबंध वस्तुतः विशेष संबंध का एक प्रमाण होने के साथ-साथ बारंबार होने वाले टकराव का भी एक स्रोत है, इस अवलोकन के आलोक में दोनों के मध्य सीमा-विवाद की समस्या पर चर्चा कीजिए।

नेपाल भारत का लंबे समय से आर्थिक-सांस्कृतिक साझेदार देश के रूप में रहा है। दोनों में रोटी बेटी का संबंध मैत्री संधि (1950 की), मुक्त आवागमन, बस सेवा जैसी पहलें की गई हैं। कहीं 2015 में ब्लॉकेज को लेकर, मधेशी को लेकर, नेपाल में आये भूकंप को लेकर तथा लिपुलेख की दावे को लेकर दोनों में टकराव भी होता है।

सीमा-विवाद की समस्या:

दोनों में उत्तराखंड के लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेख को लेकर विवाद है। नेपाल सुगौली की संधि के तहत इन तीनों को अपना क्षेत्र मानता है क्योंकि नेपाल के अनुसार ये क्षेत्र काली नदी के पूर्व में हैं और काली नदी नेपाल की सीमा निर्धारित करती है, इसी क्रम में अपने नये नक्शे में नेपाल ने इन तीनों क्षेत्रों को अपना बताया है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत 1950 से ही इन तीनो क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर अपना क्षेत्र घोषित किया गया है क्योंकि -

↳ ये तीनों क्षेत्र काली नदी के पश्चिम में

↳ भारत के राजकीय डेटा में ये तीनो क्षेत्र भारत के

↳ 1950 के दशक में ही चीन द्वारा लिपुलेख दर्रे से व्यापार समझौते के तहत इस क्षेत्र को भारत का बताया गया है

↳ जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के उपरांत भारत ने अपने नये नक्शे में भी इन क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में दिखाया गया है

आगे की राह :- सीमा विवाद हेतु समिति का निर्माण
↳ आपसी समन्वय से मुद्दे का हल

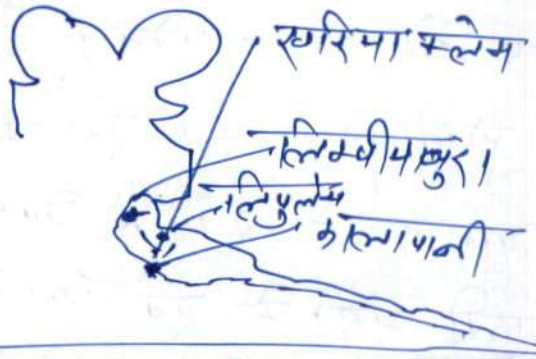

नेपाल को जहां कनेक्टिविटी और अन्य जरूरतों हेतु भारत की आवश्यकता है वहीं भारत को भी गुजराल डाक्ट्रिन और पड़ोसी पहले की नीति का पालन कर सीमा विवादों का शांतिपूर्ण हल खोजना चाहिये।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. The evolving global situation around Covid-19 simultaneously highlights the relevance of the World Health Organisation (WHO) as well as its existing lacunae. Discuss. **(150 words) 10**

कोविड-19 के चतुर्दिक विकसित वैश्विक स्थिति, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की प्रासंगिकता के साथ-साथ इसमें विद्यमान कमियों को भी रेखांकित करती है। चर्चा कीजिए।

कोविड-19 एक वायरस जनित बीमारी है जिसने कई आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक समस्याओं को जन्म देने के साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका को भी केंद्र में लाकर खड़ा किया।

WHO की प्रासंगिकता:-

- वायरस के बारे में जागरूक करना (वायरस से उपजी बीमारी को महामारी बता)
- वायरस के फैलने के कारणों की जानकारी देना (जैसे मनुष्य-मनुष्य, हवा में संचरण आदि)
- वायरस से बचाव हेतु जानकारी देना (जर्मनी और दक्षिण कोरिया ने पालन किया)
- राष्ट्रों के मध्य बचाव हेतु समन्वय अपनाने पर जोर देना
- विभिन्न सुरक्षा उपकरणों का मानक निर्धारण करना तथा उनका समावेशी वितरण सुनिश्चित करना जैसे (PPE किट, मास्क आदि)
- वैक्सीन के निर्माण में सहयोग करना

विद्यमान कमियाँ:

वित्त संबंधी: सालाना वित्त महज 2 बिलियन अमेरिकी डालर
- मुख्यत: देशों द्वारा दी जाने वाली दान राशि पर निर्भरता
- अमेरिका का दान देने से मना करना

मानव संसाधन:
- कुशल मानव संसाधन की कमी
- ऐसी महामारी से लड़ने हेतु क्षमतावान विशेषज्ञों का अभाव

अन्य:
- महासचिव पर चीन का पक्ष लेने का आरोप
- WHO द्वारा वुहान में समय पर जाँच दल का न भेजना
- लॉकडाउन के नियमों पर सवाल उठाना
- WHO का राजनीतिकरण होना

WHO की प्रासंगिकता Covid-19 जैसी महामारियों से लड़ने के साथ-साथ SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा विश्व को स्वस्थ बनाने में है अत: इसे सशक्त करने की आवश्यकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Identifying the different capacity gaps that exist in Urban Local Bodies (ULBs), highlight the need for capacity building of these bodies. What steps have been taken by the government of India in this regard? **(250 words) 15**

शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में मौजूद विभिन्न क्षमता अंतरालों की पहचान करते हुए, इन निकायों के क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के तहत शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना की गई जिससे शासन को लोकतांत्रिक तथा जनभागीदारी बनाया जा सके।

ULBs में मौजूद विभिन्न क्षमता अंतराल

वित्त संबंधी

- राज्यों द्वारा कर शक्ति का पर्याप्त हस्तांतरण नहीं
- संपत्ति करों की कम प्राप्ति (0.15%)
- कम राजस्व की प्राप्ति (GDP का 1% से भी कम)
- GST के उपरांत कर प्राप्ति में कमी
- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं का पालन नहीं

प्रशासन संबंधी

- समांतर निकायों का गठन (जैसे हरियाणा में)
- चुने गये प्रतिनिधियों के स्थान पर लोक सेवकों को स्थानीय पदों पर नियुक्त करना
- मेयर के चुनावों में राजनीतिक हस्तक्षेप

कार्यकारी संबंधी:

> राज्यों द्वारा अनुसूची 12 में दी गयी 18 शक्तियों में से सभी का हस्तांतरण नहीं

अन्य: • क्षमतायुक्त मानव संसाधन का अभाव
• तकनीक का कम इस्तेमाल
• बढ़ते शहरीकरण के कारण प्रशासनिक बोझ का बढ़ना
• कोविड -19 जैसी महामारियों के कारण उपजी वित्तीय तथा अन्य समस्यायें

निकायों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता:

> लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करना
> शासन को जनकेन्द्रित बनाना
> स्थानीय स्तर पर विकास की पहुंच सुनिश्चित करना
> SDG-11 के तहत लचीली तथा समावेशी शहरी अवसंरचना की प्राप्ति करना
> केंद्रीय स्तर पर बनने वाली योजनाओं एवं नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

शासन के आयाम

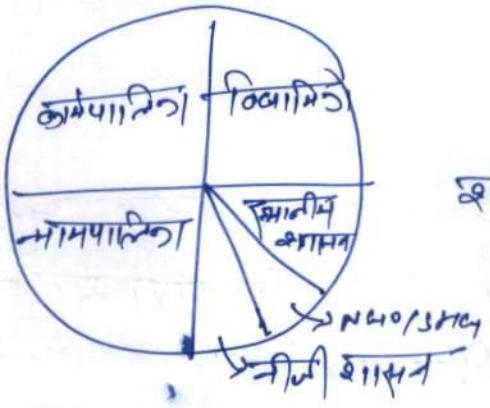

भारत सरकार के कदम:

वित्त हेतु: • 15वें वित्त आयोग ULBs के बजटीय आवंटन को बढ़ाना
• म्यूनिसिपल बॉन्डों की बिक्री बढ़ाने हेतु लेखा प्रणाली

प्रशासनिक: > चुनावों में पारदर्शिता लाना
> शक्तियों के हस्तांतरण हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करना

अन्य: 1 स्मार्ट सिटी और अमृत योजनाओं द्वारा अवसंरचना विकास जिससे राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हो
> क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम

ULBs शासन को निचले स्तर तक पहुंचाने में सहायक हैं अतः सुमित बोस समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर इनका विकास सुनिश्चित करना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Assess the performance of the GST Council as a constitutional body vested with powers to take all major decisions relating to Goods and Services Tax. **(250 words) 15**

वस्तु और सेवा कर (GST) से संबंधित सभी बड़े निर्णय लेने की शक्तियों से लैस एक संवैधानिक निकाय के रूप में GST परिषद के प्रदर्शन का मूल्यांकन कीजिए।

101वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 279A के तहत वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना की गई थी।

GST परिषद का प्रदर्शन:

- GST लागू होने के बाद से आज तक सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय
- सभी राज्यों के हितों को ध्यान में रखना
- क्षतिपूर्ति के प्रावधान द्वारा गुजरात तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों की चिंताओं को दूर करना
- जम्मू कश्मीर के संबंध में भी GST को लेकर समावेशी निर्णय का निर्माण करना
- छोटे-उद्योगों को कंपोजीशन स्कीम द्वारा प्रोत्साहन देना
- विभिन्न वस्तुओं को लेकर अनेक लिये कर श्रेणी निर्धारण करना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

GST परिषद अपनी संरचना में सहकारी संवाद को बढ़ाती है यहां निर्णय 3/4 के बहुमत से लिये जाते हैं तथा निरंतरता में सभी राज्यों की भागीदारी है।

GST परिषद से संबंधित मुद्दे:

→ जटिल कर आधार प्रणाली का निर्माण
→ निर्णय निर्माण प्रक्रिया में जटिलता
→ पेट्रोलियम तथा एल्कोहल को लेकर अभी भी ठोस निर्णय पर न पहुंचना
→ GST से हुये नुकसान को लेकर राज्यों की चिंताओं का हल न निकाल पाना
→ GST परिषद अभी भी क्रेडिट इनपुट को लेकर व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने में दक्ष नहीं रही है
→ यद्यपि केंद्र की हिस्सेदारी 1/3 ही है फिर भी इसके राजनीतिक दबावों में पड़ने की आशंका है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

GST परिषद ने अब तक अच्छा कार्य किया है आगे आने वाली समस्याओं को दूर करके इस परिषद को सहकारी तथा प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को सशक्त करने हेतु कार्य करना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Discuss each adjective attached to the word 'Justice' in the 'Preamble'. Highlight some constitutional and legal steps taken towards each of them in India. **(250 words) 15**

उद्देशिका' में प्रयुक्त 'न्याय' शब्द से जुड़े प्रत्येक विशेषण की विवेचना कीजिए। भारत में उनमें से प्रत्येक की दिशा में उठाए गए कुछ संवैधानिक और विधिक कदमों को रेखांकित कीजिए।

भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं की इच्छाशक्ति का द्योतक है तथा यह संविधान के दर्शन को व्यक्त करती है।

न्याय शब्द की विवेचना:

① सामाजिक न्याय:

- समाज समावेशी हो
- सभी को समता, स्वतंत्रता तथा समानता का अधिकार हो।
- जातिगत, लिंग तथा धार्मिक आधार पर भेदभाव न हो।
- सामाजिक बहिष्कार तथा सामाजिक अपवंचना का शिकार कोई न हो

② आर्थिक न्याय

- आर्थिक संसाधनों का समतामूलक वितरण हो
- गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन हो
- मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुंच हो

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

राजनीतिक न्याय

- राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी हो
- मत का समान अधिकार हो
- शासन में भागीदारी हो
- विधि का शासन हो

इस दिशा में उठाये गये संवैधानिक तथा विधिक कदम:

सामाजिक न्याय हेतु:

संवैधानिक कदम	विधिक कदम
> अनुच्छेद 14 समता का अधिकार	> अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989
> अनुच्छेद 15 लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेद से निषेध	> घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, PCPNDT अधिनियम 1994
> अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार	> दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016
> अनुच्छेद 25 से 30 धार्मिक भेदभाव से सुरक्षा	> ट्रांसजेंडर सशक्तिकरण अधिनियम

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आर्थिक ~~प्रशासकरण~~ न्याय हेतु :

संवैधानिक	विधिक
> अनुच्छेद 16 द्वारा लोक नियोजन में अधिकार	> समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
> अनुच्छेद 19 द्वारा वृत्ति का अधिकार	> न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
> अनुच्छेद 39 द्वारा संसाधन तक पहुँच	> वेतन संहिता कोड
> अनुच्छेद 43 द्वारा उचित कार्यदशायें,	> APMC अधिनियम 2003
> अनुच्छेद 301 आर्थिक संचरण की स्वतंत्रता	> माडल संविदा कृषि अधिनियम 2018
	>

राजनीतिक न्याय :	विधिक :
> अनुच्छेद 243D, 243T स्थानीय संस्थाओं में आरक्षण	> जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951.
> अनुच्छेद 326 मतदान का अधिकार	
> अनुच्छेद 330, 332 विधायिका में आरक्षण	

न्याय शब्द उद्देशिका को महत्ता प्रदान करता है जिसका भाव उच्चतम न्यायालय के LIC वाद तथा अन्य वादों में भी दिखता है)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Federal tensions in India highlight the need for reforming the Seventh Schedule through the addition, removal and appropriate placement of entries. Discuss. **(250 words) 15**

भारत में संघीय तनाव, प्रविष्टियों को जोड़ने, हटाने और उचित व्यवस्थापन के माध्यम से सातवीं अनुसूची में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। चर्चा कीजिए।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची कानून बनाने के संबंध में तीन सूचियों संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान करती है।

सातवीं अनुसूची में सुधार की आवश्यकता:-

- केंद्रीय सूची में मामलों की संख्या में वृद्धि (97 से 100)
- राज्य सूची में मामलों की संख्या में कमी
- 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से वन, शिक्षा जैसे कई मामलों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया।
- समवर्ती सूची को और केंद्रीय सूची को राज्य सूची से अधिक वरीयता दी गयी है
- यदि समवर्ती सूची पर केंद्र ने कानून पहले से बना दिया है तथा राज्य भी कानून बनाता है तो केंद्रीय कानूनों को अधिक प्राथमिकता दी जायेगी (ये

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रावधान संघीयता की भावना को आहत करते है।

• अनुच्छेद 249, 252, 253 आदि के तहत राज्य सूची पर केंद्र की कानून बनाने की शक्ति संघीयता की भावना को आहत करती है।

सुधार जो किये जा सकते हैं:

→ राज्य सूची में मामलों की संख्या बढ़ाना
→ केंद्रीय सूची से मामलों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना
→ समवर्ती सूची पर कोई भी कानून केंद्र तथा राज्य की आपसी सहमति से ही निर्मित हों
→ समवर्ती सूची में केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य के कानूनों को समान वरीयता देना
→ राज्य सूची पर केंद्रीय हस्तक्षेप को कम से कम करना
→ अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में ठोस नियमों का निर्माण करना

इस संबंध में तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्मित राजमन्नार आयोग ने कई पहलुओं पर विचार किया था जिनमें से कुछ को अमल में लाया जा सकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ निर्धारित करता है अत: इसकी संघीय भावना को बनाये रखने हेतु अनुसूची 7 पर विचार करने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. The 'globalisation' discourse has reinforced the role of civil society in the management of many socio-economic areas that hitherto belonged to the State. Comment.

(250 words) 15

'वैश्वीकरण' से संबद्ध संवाद ने ऐसे कई सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के प्रबंधन में नागरिक समाज की भूमिका को परिपुष्ट किया है जो अब तक राज्य से संबंधित थे। टिप्पणी कीजिए।

नागरिक समाज जो सरकारी मशीनरी का उपयोग किये बिना समाज के लिये कार्य करते हैं, वैश्वीकरण के कारण इन संगठनों की भूमिका सामाजिक-आर्थिक प्रबंधन के उन क्षेत्रों में बढ़ी है ~~जो~~ जो पहले राज्यों से संबंधित थी।

जैसे:

निर्धनता उन्मूलन:

राज्य द्वारा अकेले इस समस्या को दूर करने में उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी केरल में स्पार्क, कुडुम्बश्री तथा झारखण्ड में प्रधान जैसे नागरिक समाज गरीबी उन्मूलन में सहायता कर रहे।

सामाजिक न्याय हेतु:

सभी के लिये न्याय सुनिश्चित कर राज्यों सभी जन के प्रति जवाबदेह बना रहे हैं। जैसे नाज फाउंडेशन द्वारा ट्रांसजेंडरों के मुद्दे को उठाया गया जिससे ट्रांसजेंडर सशक्तिकरण

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

अधिनियम बना।

* महिला अधिकारों का संरक्षण:-

1970 के बाद महिला अधिकारों की मांग बढ़ी जिसमें कई नागरिक समाजों ने ~~अ~~ महिला सशक्तिकरण हेतु कार्य किया जैसे
* अहमदाबाद का सेवा संगठन

जातिगत भेदभाव के प्रति आवाज उठाना।
कई संगठनों ने इस ओर राज्य का ध्यान आकर्षित किया।

समाज से भ्रष्टाचार कम करना:-
* मजदूर किसान सभा द्वारा किये गये आन्दोलन के द्वारा भारत में सूचना अधिकार कानून आया। (DICCI)
* किसानों के हितों का ध्यान!
जैसे ~~ब~~ आखिल भारतीय किसान सभा द्वारा ~~[illegible]~~ किसानों की समस्याओं को उठाया गया।
* राज्य को आर्थिक नीति में सहायता देना:
जैसे FICCI द्वारा आर्थिक नीतियों को

प्रभावित किया जाता है।

हालांकि नागरिक समाजों को लेकर कई मुद्दे भी हैं जैसे।

- CBI तथा IB द्वारा इनकी कार्यवाही पर संदेह व्यक्त किया गया है।
- कुछ नागरिक समाज विकासात्मक योजनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं (जैसे ग्रीन पीस इंडिया का मामला)
- इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जैसे संगठनों पर धार्मिक भेदभाव फैलाने का आरोप
- संशोधित विदेशी अंशदान कानून के कारण नागरिक समाजों को लाइसेंस नवीनकरण तथा वित्त प्राप्त करने की समस्याएँ।

नवउदारवादी युग में नागरिक समाज शासन के अभिन्न हैं कोविड-19 के दौरान इन्होंने सहयोगी भूमिका निभाई अतः समावेशी नीति द्वारा इन्हें विकास प्रक्रिया में साधन के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Highlighting the need for reforms in civil services with special focus on the Indian Administrative Services (IAS), critically discuss the apprehensions associated with lateral entry in civil services. **(250 words) 15**

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर तथा सिविल सेवाओं में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रविष्टि (लेटरल एंट्री) से जुड़ी आशंकाओं की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

भारत में संविधान के अनुच्छेद 312 द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया। इसमें IAS संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति तथा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देने का एक साधन है।

सिविल सेवाओं में सुधार की आवश्यकता

→ सिविल सेवकों की संख्या में कमी (बासवन समिति बिहार तथा UP में कमी)

→ सिविल सेवकों की कार्यप्रणाली में दक्षता लाने हेतु

→ सिविल सेवकों को भ्रष्टाचार की गतिविधियों से दूर करने हेतु (वोहरा समिति तथा 2nd ARC ने इस बात को उठाया है)

→ वैश्वीकरण के पश्चात कई नयी चुनौतियाँ भी प्रशासन में आयी हैं उनके लिये भाव्य विशेषज्ञ, त्वरित निर्णय लेने वाले, तथा वस्तुनिष्ठ सिविल सेवकों की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ अनुच्छेद 311 के तहत प्राप्त कार्यकालीय सुरक्षा जोखिम लेने से रोकती है
→ नियुक्ति तथा स्थानांतरण पर कार्यपालिका का हस्तक्षेप होने से सिविल सेवकों की दक्षता बाधित होने से रोकने हेतु (अशोक खेमका 27 साल में 53 ट्रांसफर)
→ आत्मनिर्भर तथा न्यू इंडिया जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु

ऐसे में होता समिति तथा 2nd ARC ने भी सिविल सेवा में पार्श्व प्रवेश का समर्थन किया है मनमोहन सिंह, अहलूवालिया आदि इसके उदाहरण भी हैं

लाभ: → सिविल सेवकों की क्षमता में वृद्धि
→ विशेषज्ञों की प्राप्ति होगी
→ प्रशिक्षण पर कम कम खर्च तथा कुशल एवं अनुभवी लोक सेवक त्वरित प्राप्त होंगी
→ पारंपरिक लोक सेवकों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी
→ राजनीति तथा लोक सेवक का गठजोड़ कम होगा जिससे निधियों का समावेशी उपयोग होगा।

हानि!

- जरूरी नहीं कि पार्श्व प्रवेश से आने लोक सेवक अच्छा करें
- विशेषज्ञ लोक सेवक आम लोग जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील नहीं होते
- इनका निश्चित कार्यकाल होगा ऐसे में इनकी भ्रष्टाचार में संलिप्तता बढ़ सकती है
- इनकी नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा अतः राजनीतिक सांठ-गांठ बढ़ सकती है
- ऐसे लोक सेवक अपने पूर्व के संगठन के प्रति निष्ठावान हो नीतियों का क्रियान्वयन कर सकते हैं जिससे हित संघर्ष में वृद्धि होगी
- पारंपरिक लोक सेवकों के मध्य अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है

अतः पार्श्व प्रवेश के साथ-साथ किरण अग्रवाल समिति, 2nd ARC आदि की सिफारिशों को ध्यान में रखकर तथा मिशन कर्मयोगी का प्रभावी क्रियान्वयन करके सिविल सेवा को दक्ष बनाया जा सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Online education is gaining traction in India due to the ongoing COVID-19 crisis. Identify the different challenges that need to be addressed before it can emerge as a feasible alternative to classroom learning in India. Suggest some measures to address the above-identified challenges.

(250 words) 15

वर्तमान में जारी कोविड-19 संकट के कारण भारत में ऑनलाइन शिक्षा बढ़ रही है। उन विभिन्न चुनौतियों की पहचान कीजिए जिन्हें भारत में कक्षा अधिगम (क्लासरूम लर्निंग) के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में इसके उभरने से पूर्व दूर किए जाने की आवश्यकता है। उपर्युक्त चुनौतियों का समाधान करने हेतु कुछ उपायों का सुझाव दीजिए।

भारत में स्वयंप्रभा चैनलों तथा आत्मनिर्भर पैकेज के तहत प्रोत्साहनों द्वारा कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा किया जा रहा है।

इसमें व्याप्त चुनौतियां:

- डिजटल विभाजन: विश्व बैंक के अनुसार भारत में महज 45% है
- डिजिटल लैंगिक अंतराल: भारत में महज 29% महिलाओं की पहुंच इंटरनेट तक
- भारत में डिजिटल साक्षरता का अभाव
- भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में हेरिफेर तथा अन्य समस्याओं के कारण व्याप्त मुद्दे
- बिजली का दूरदराज क्षेत्रों तक अभाव
- शिक्षकों में तथा अभिभावकों में नई तकनीक के प्रति कुशलता का अभाव
- बढ़ते साइबर हमले (भारत साइबर सुभेद्यता में 5वें स्थान पर है)

चुनौतियों हेतु उपाय

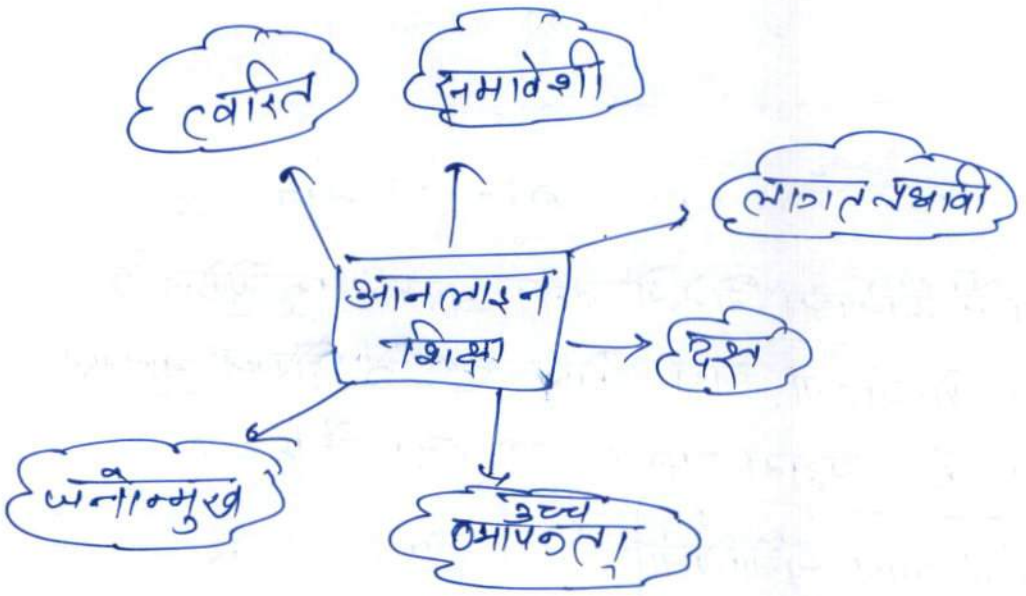

- डिजिटल साक्षरता बढ़ाना
- महिलाओं में तकनीक को लेकर कुशलता बढ़ाना
- भारतनेट जैसी परियोजनाओं को प्रभावी बनाकर इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना
- ऊर्जा तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ शिक्षकों को समय-समय पर नयी तकनीक के प्रति प्रशिक्षित करना
(नई शिक्षा नीति 2020)

→ अभिभावकों को तकनीक अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना

→ स्थानीय स्तर जागरूकता फैलाना

→ विधिक, संस्थागत तथा वैश्विक सहयोग से साइबर हमले की समस्या को दूर करना।

सरकारी प्रयास:
→ प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान
→ फाइबर आप्टिकल केबल का फैलाव
→ नई संचार नीति 2018
→ डीजिटल इंडिया मिशन

नई शिक्षा नीति 2020 तथा SDG-4 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली सहयोगी हो सकती है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. In recent times, Randomised Control Trials (RCTs) have acquired salience in policy debates. In the context of poverty alleviation programmes in India, discuss the role RCTs can play in policy formulation. **(250 words) 15**

हाल के समय में, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल (RCTs) नीतिगत बहस का महत्वपूर्ण भाग बन गया है। भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के संदर्भ में, नीति-निर्माण में RCTs द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका की विवेचना कीजिए।

रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल एक ऐसी विधि है जिसमें पहले कुछ लोगों पर किसी निर्णय के प्रभाव को जांच कर फिर उसे बड़े स्तर पर लागू किया जा सकता है।

भारत जहां 21.9% जनता गरीबी है (तेंदुलकर समिति) साथ ही मनरेगा PDS, आयुष्मान भारत जैसे कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं वहां RCTs द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका:-

- योजनाओं के प्रभाव का पूर्व अध्ययन
- योजना को लक्षित करने में सहायता
- अब तक लायी गयी विभिन्न निर्धनता उन्मूलन संबंधित गतिविधियों एवं नीतियों में जो समस्यायें देखी गयी उनको दूर करने में सहायक
- योजनाओं की प्रभावकारीता के

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आधार पर पुनः संशोधित करके अधिक प्रभावी बनाना।

↳ निर्धनता उन्मूलन के बहुआयामी स्वरूपों को सम्मिलित करना

हालांकि मुद्दे भी हैं जैसे

- यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है
- महज उन लोगों पर प्रभाव सभी के लिये एक समान हो यह जरूरी नहीं
- यह निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रमों में देरी कर सकती है
- यह मूलतः चिकित्सकीय क्षेत्र से संबंधित सिद्धान्त है अतः जरूरी नहीं कि सामाजिक क्षेत्र में भी उपयोगी हो
- यह तकनीक आधारित जटिल मामला है जिसके लिये कुशल मानव संसाधन एवं तकनीक की आवश्यकता है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

जैसे प्रयोग निर्धनता उन्मूलन के लिये किये जा सकते हैं साथ ही आय के स्रोत बढ़ा तथा सामाजिक सुरक्षा को बढ़ा भारत से निर्धनता उन्मूलन करके SDG-2 को प्राप्त करना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Internationally the rise of protectionism and changing approach of many countries towards migration may have a significant impact on the Indian Diaspora. Explain.

(250 words) 15

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरते हुए संरक्षणवाद और प्रवासन के प्रति कई देशों के परिवर्तित होते दृष्टिकोण का भारतीय डायस्पोरा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। स्पष्ट कीजिए।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बाद वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर संरक्षणवाद और प्रवासन के प्रति कई देशों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है जिससे भारतीय डायस्पोरा के प्रभावित होने का खतरा व्याप्त हुआ है।

जैसे:

अमेरिका फर्स्ट नीति:
- अमेरिका H1B वीजा नियमों में प्रवर्जनों को कठिन कर रहा
- 1% अमेरिका भारतीय डायस्पोरा इन पर इसका प्रभाव
- भारत का IT सेक्टर प्रभावित होगा

ब्रेग्जिट:
- यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने पर भारतीय डायस्पोरा के आर्थिक हित बाधित हो सकते हैं।
- ब्रिटेन रहित यूरोपीय यूनियन प्रवासियों हेतु नियमों को कड़े कर सकता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पश्चिम एशिया:

→ UAE और सऊदी अरब देशों द्वारा स्थानीय लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता देना
→ इन देशों से भारत 11 मिलियन प्रवासी जो भारत के लिये बड़े स्तर पर रेमिटेन्स भेजते हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा

अन्य प्रभाव

→ पश्चिम एशिया जाने वाले प्रवासियों पर प्रतिबंध लग सकता है
→ कम कुशलता के कारण प्रवासियों को अन्य देशों में नौकरियाँ पाने में कठिनाई हो सकती है
→ डायस्पोरा की समस्या भारत की कूटनीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है

(भारतीय प्रवासी)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे की राह!

→ वैश्विक मंचों से संरक्षणवाद का विरोध करना।
→ द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से डायस्पोरा के संबंध में समावेशी समझौते करना
→ प्रवासियों को वैश्विक स्तर पर मांग के अनुरूप कुशलता प्रदान करना
→ विदेश मंत्रालय द्वारा डायस्पोरा की समस्याओं का त्वरित हल प्रदान करना
→ प्रवासी दिवस जैसी पहलों द्वारा डायस्पोरा के साथ सहज संबंध बनाना।

भारतीय डायस्पोरा भारत की सॉफ्ट पावर के साथ-साथ आर्थिक विकास में सहायक है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. In the context of India-China ties, explain the term 'Panchsheel'. In view of the argument that China has persistently violated these principles, argue whether the longstanding approach requires changes. **(250 words) 15**

भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में, 'पंचशील' शब्द को स्पष्ट कीजिए। इस वाद-विवाद के आलोक में कि चीन ने इन सिद्धांतों का बारंबार उल्लंघन किया है, तर्क प्रस्तुत कीजिए क्या इस दीर्घकालिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है।

भारत और चीन के संबंध में पंचशील का सिद्धांत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा लाया गया था। इसके तहत सहअस्तित्व, संप्रभुता, शांति और स्थिरता तथा अहस्तक्षेप के सिद्धांत को अपनाया गया था। यह सिद्धांत दोनों देशों के एक साथ विकास करने तथा दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता हेतु आवश्यक है।

हालांकि चीन द्वारा इस सिद्धांत का बार-बार उल्लंघन किया जा रहा है जैसे:

- 1962 का युद्ध
- भारत के क्षेत्र से चीन का CPEC का गुजरना (संप्रभुता में हस्तक्षेप है)
- अक्साई चीन तथा मैकमोहन रेखा को लेकर विवाद
- पाकिस्तान की चरमपंथ नीतियों का आंतरिक रूप से समर्थन
- डोकलाम विवाद

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

ऐसे में इस नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता क्योंकि:

- यह नीति यथार्थवादी दृष्टिकोण से रहित है
- चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण एशिया में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा
- चीन अपने आर्थिक निसाधनों का उपयोग भारत के पड़ोसी देशों को ~~ऋण~~ ऋणजाल में फसाने में कर रहा है
- चीन दक्षिण चीन सागर, ताइवान तथा हांगकांग के मुद्दे पर अपनी सक्रिय एवं आक्रमक नीतियों द्वारा यह दिखाना चाहता है कि वह दक्षिण एशिया में अकेले एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरना चाहता है
- भारत को अपनी विदेश नीति को प्रतिक्रिया शील बनाने हेतु

हालांकि इस नीति दृष्टिकोण में परिवर्तन को करने में निम्नलिखित तत्वों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है:-

- भारत एवं चीन दोनो दक्षिण एशिया की शांति एवं स्थिरता हेतु आवश्यक है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ भारत को अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की आवश्यकता है (मधुकर गुप्ता समिति)

→ भारत को SCO, BRICS जैसे मंचों का उपयोग करके चीन से संबंधों को सहज बनाना चाहिये

→ सीमा विवादों के हल हेतु 2012 के तंत्र तथा 2013 के सीमा विवाद समझौते का उपयोग करना चाहिये

→ दोनों को एक खुली, नियम आधारित तथा समावेशी एशिया प्रशांत क्षेत्र के विकास पर कार्य करना चाहिये

भारत-चीन के मध्य विवादित क्षेत्र

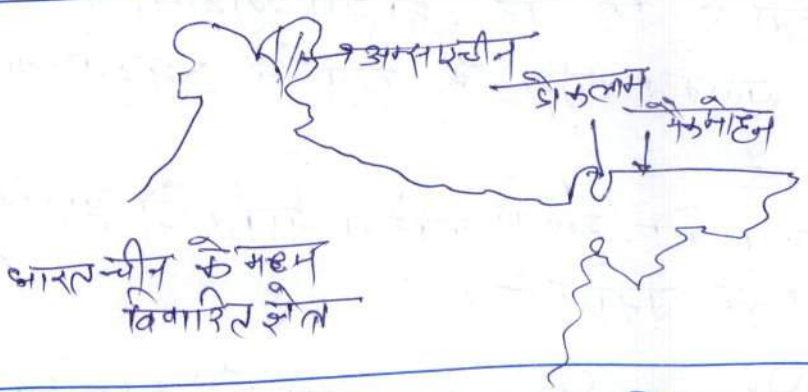

वुहान तथा मामल्लपुरम सम्मेलनों के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भारत तथा चीन को परस्पर साझा हितों को केन्द्र में रखकर कार्य करना चाहिये।